

:- आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

13/8/22

प्र० पक्ष:- अनुपस्थित

द्वि० पक्ष:- उपस्थित

उक्त पक्ष लिखित ब्यापक दायित्व करे । दिनांक 13/8/22 को एवं ।

13/8/22

13/8/22

कमिश्नर सिनांगु 13/8/22 से निशानि या फुलु उर तिथि से लोड आसालत लेने के कारण डेटि की कार्यवाही नहीं हो सकी कमिश्नर सिनांगु 13/8/22 को हल गया ।

प्र० पक्ष:- अनुपस्थित

द्वि० पक्ष:- उपस्थित

फाल बाधित होने के कारण वार की कार्यवाही समाप्त हो पायी है ।

13/8/22

C.C. Gaurav

13/8/22